Government of National Capital Territory of Delhi

DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SC/ST/OBC/MINORITIES

B- Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002

Ph.: 23379511-12, Fax: 23379513, Website: www.scstwelfare.delhigovt.nic.in, E-mail: ddscstdel@hub.nic.in

Closing Date : 20.09.2015

Application for reimbursement of tuition fee and other compulsory fee for the year 2015-16, are invited in the prescribed Performa already available on the website of this department from SC/ST/OBC/Minorities students with family income below Rs. 2,00,000/- per annum upto 20-09-2015 during office hours between 10:00 AM to 1:00 PM.

The following are the eligibility conditions under the scheme:

(1) The applicant belongs to the minority communities should be resident of Delhi for the past three years and should submit proof thereof like EPIC card, Adhar Number, Ration Card, Landline telephone bill of MTNL, Driving License issued by GNCTD and Domicile Certificate issued by SDM in Delhi or Pass Book of Nationalized Bank.

(2) The applicant should submit self attested copy of Caste Certificate (SC/ST/OBC) issued in the name of student or his father's name by SDM/Deputy Commissioner (Revenue), GOVT. of NCT of Delhi, Domicile Certificate of Delhi if the caste (SC) certificate is not issued by the competent authority of Govt. of NCT of Delhi is required.

(3) In case of minority student, declaration by parent/guardian in the form of an affidavit (in Non-Judicial Stamp Paper of Rs.10/-) that his Son/Daughter belongs to particular Minority Community.

(4) The school in which he/she is studying should be recognized/affiliated with Dept. of Education, Govt. of NCT of Delhi.

(5) Repeaters in a particular class will not be eligible for such benefits.

(6) Students studying in classes Ist to 5th will be entitled for reimbursement of tuition fees and other compulsory fees regardless of marks, but in the case of students studying in classes 6th to 12th, tuition fees and other compulsory fees will be reimbursed to only those scoring 50% and above marks and having not less than 80% attendance in the preceding year. (i.e. Student studying in class VIth may submit marksheet of class of Vth).

(7) Students with family income upto Rs. 60,000/- PA. will be eligible for 100% reimbursement while those with parental income between Rs. 60,001/- to 2,00,000/- P.A. will be eligible for 75% reimbursement of Fees.

(8) For family income latest salary slip in the case of parent/guardian in Government service. Income certificate from the concerned SDM of Delhi in case of Parent/Guardian engaged in private job/service/other profession.

(9) All attached requisite documents should be got attested by parent / guardian.

(10) Bank Account should be in the name of the student (Joint Bank Account With parent/Guardian is also permissible) and performa of bank detail should be verified by the concerned bank/Branch authority. The Bank should be Nationalized Bank.

(11) Original Fees receipt (in r/o First Six months of academic session) should be attached with the application form.

(12) The scholarship will be awarded as par order/Notification/Circular issued by GNCT of Delhi from time to time.

How to Apply:

(1) Application forms can be downloaded from the website of this department www.scstwelfare.delhigovt.nic.in.

(2) Students and their parents / guardian are advised to apply in the prescribed format to their respective School Principals/Head Masters immediately or latest by 20.09.2015 who would forward the consolidated statement and application forms and other attested documents including original fee receipt to this department immediately or latest by 20.09.2015

(3) Original receipt of tuition and other compulsory fees for the subsequent six months of the academic session should be submitted by the students/parents latest by 20.09.2015.

Documents to be attached with the application:

(1) Self Attested copy of Caste Certificate issued in the Name of Students / Father (in respect of SC/ST/OBC) & affidavit (in Non-Judicial stamp Paper of Rs. 10/- with revenue stamp of Rs. 5/-) (in respect of Minority Students) by parent/guardian declaring his son/daughter belongs to particular Minority Community.

(2) Self Attested copy of EPIC Card/Adhaar Number, Ration Card, Land line telephone bill of MTNL, Driving License issued by GNCTD and domicile Certificate issued by SDM in Delhi or Pass Book of Nationalized Bank.

(3) Self Attested copy of income certificate from SDM concerned (for parent/guardian engaged in private job/service/other profession)/Salary Slip (in case of Government Servants).

(4) Self Attested copy of previous-class mark sheet (From 5th class to 12th class only).

(5) Original Fees receipt.

* **Applicant and form attesting authority/school authority, who gives false and fabricated documents/information will be prosecuted.**

Principal secretary
(Department for The welfare of SC/ST/OBC/MIN.)

DIP/0744/2015-16

For further details and application form please log on to the website: www.minorityaffairs.gov.in www.scstwelfare.delhigovt.nic.in

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
अनु. जाति / अनु. जनजाति / अ. पि. वर्ग / अल्प संख्यक कल्याण विभाग

दूसरा तल, बी–ब्लॉक, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110 002,

फोन: 23379511-12, फैक्स: 23379513, Website: www.scstwelfare.delhigovt.nic.in, E-mail: ddscstdel@hub.nic.in

समापन तिथि : 20.09.2015

वर्ष 2015–16 के लिए ट्यूशन शुल्क तथा अन्य अनिवार्य शुल्क की प्रति पूर्ति के लिए इस विभाग की वेबसाइट पर पहले से उपलब्ध निर्दिष्ट प्रपत्र में अनु जाति / अनु जन जाति / अ. पि. वर्ग / अल्प संख्यक समुदाय के छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिनकी पारिवारिक आय 2,00,000 रुपए प्रति वर्ष से कम है। इसकी अंतिम तिथि 20.09.2015 को कार्यालय समय के दौरान 10.00 से 01.00 के बीच है।

योजना के तहत पात्रता की निम्नलिखित शर्तें हैं :

1. अल्पसंख्यक समुदायों में आवेदक को पिछले तीन वर्षों में दिल्ली का निवासी होना चाहिए और इसे एपिक कार्ड, आधार नंबर, राशन कार्ड, एमटीएनएल का लैंडलाइन टेलीफोन बिल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस, दिल्ली के एसडीएम द्वारा जारी अधिवास प्रमाणपत्र या राष्ट्रीयकृत बैंक की पास बुक के रूप में इसका प्रमाण जमा करना चाहिए।
2. आवेदक को छात्र या उसके पिता के नाम पर एसडीएम / उपायुक्त (राजस्व), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र (अनु. जाति / अनु. जनजाति / अ. पि. वर्ग) की सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। दिल्ली का अधिवास प्रमाणपत्र, यदि जाति का प्रमाणपत्र (अनु. जाति) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया हो।
3. अल्पसंख्यक छात्रों के मामले में उसके माता पिता / अभिभावक द्वारा एक शपथ पत्र पर (10 रु. मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर में) के रूप में यह घोषणा कि उनका बेटा / बेटी अल्पसंख्यक समुदाय विशेष का है।
4. जिस विद्यालय में वे पढ़ते / पढ़ती हैं, उसे शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त / संबद्ध होना चाहिए।
5. किसी कक्षा में दोबारा पढ़ने वाले छात्र को उक्त लाभों की पात्रता नहीं होगी।
6. कक्षा 1 से 5 के बीच पढ़ने वाले छात्रों को ट्यूशन फीस तथा अन्य अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी, उन्हें चाहे कितने भी अंक मिलें, किंतु कक्षा 6 से 12 में पढ़ने वाले छात्रों के मामले में ट्यूशन फीस और अन्य अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति केवल उन छात्रों को की जाएगी जो 50 प्रतिशत तथा इससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं और पिछले वर्ष में जिनकी उपस्थिति 80 प्रतिशत से कम नहीं है (अर्थात कक्षा 6 में पढ़ने वाले छात्र अपनी पांचवीं कक्षा की अंक सूची जमा कर सकते हैं)।
7. पारिवारिक आय 60000 रुपए प्रतिवर्ष तक के छात्रों को सौ प्रतिशत प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी, किंतु जिनके माता पिता की आय 60,001 से 2,00,000 रुपए प्रति वर्ष के बीच है, उन्हें 75 प्रतिशत शुल्क की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी।
8. पारिवारिक आय के लिए सरकारी नौकरी में सेवारत माता पिता / अभिभावक की नवीनतम वेतन पर्ची। निजी नौकरी / सेवा / अन्य व्यावसाय में संलग्न माता पिता / अभिभावकों के मामले में दिल्ली के संबंधित एसडीएम की ओर से आय का प्रमाण पत्र।
9. सभी संलग्न आवश्यक दस्तावेज माता पिता / अभिभावक द्वारा सत्यापित किए जाएं।
10. छात्र के नाम पर बैंक खाता (माता पिता / अभिभावक के साथ संयुक्त बैंक खाते की अनुमति भी है) और बैंक विवरणों के प्रपत्र का सत्यापन संबंधित बैंक / शाखा प्राधिकारी द्वारा किया जाए। बैंक राष्ट्रीकृत बैंक होना चाहिए।
11. मूल शुल्क रसीद (शैक्षिक सत्र के शुरूआती 6 माह के संदर्भ में) आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाए।
12. छात्रवृत्ति समय समय पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश / अधिसूचना / परिपत्र के अनुसार प्रदान की जाएगी।

आवेदन कैसे करें :

1. आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट **www.scstwelfare.delhigovt.nic.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।
2. छात्रों और उनके माता पिता / अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे तुरंत या अधिक से अधिक 20.09.2015 तक संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्यों / मुख्य अध्यापकों के पास निर्दिष्ट फॉर्मेट में आवेदन करें, जो समेकित व्यक्तव्य तथा आवेदन पत्र एवं अन्य सत्यापित दस्तावेजों सहित मूल शुल्क रसीद तुरंत अधिक से अधिक 20.09.2015 तक इस विभाग में जमा करेंगे।
3. ट्यूशन और अन्य अनिवार्य शुल्कों की मूल रसीद शैक्षिक सत्र के अगले 6 माह के लिए छात्रों / माता पिता द्वारा अधिक से अधिक 20.09.2015 तक जमा की जाए।

आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :

1. छात्रों / पिता के नाम पर (अनु जाति / अनु जन जाति / अ. पि. वर्ग के संबंध में) जारी जाति प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति तथा एक शपथ पत्र पर (10 रु. मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर में) एवं अल्पसंख्यक छात्रों के मामले में उसके माता पिता / अभिभावक द्वारा एक शपथ पत्र पर (5 रु. मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर में) के रूप में यह घोषणा कि उनका बेटा / बेटी अल्पसंख्यक समुदाय विशेष का है।
2. एपिक कार्ड / आधार नंबर, राशन कार्ड, एमटीएनएल का लैंडलाइन टेलीफोन बिल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस, दिल्ली के एसडीएम द्वारा जारी अधिवास प्रमाणपत्र या राष्ट्रीयकृत बैंक की पास बुक की प्रति स्वयं सत्यापित होनी चाहिए।
3. संबंधित एसडीएम द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति (माता पिता / अभिभावक के निजी नौकरी / सेवा / अन्य व्यावसाय में संलग्न होने पर) / वेतन की पर्ची (सरकारी सेवकों के मामले में)।
4. पिछली कक्षा की अंक तालिका (केवल कक्षा 5 से कक्षा 12 तक) स्वयं सत्यापित प्रति।
5. मूल शुल्क रसीद।

*** आवेदक और प्रपत्र का सत्यापन करने वाले प्राधिकारी / विद्यालय के प्राधिकारी, जो झूठे और जाली दस्तावेज / जानकारी देते हैं, उन्हें अभियोजित किया जाएगा।**

प्रधान सचिव

(अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अ. पि. वर्ग / अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)

DIP/0744/15-16

विस्तृत विवरण और आवेदन पत्र के लिए कृपया वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in • www.scstwelfare.delhigovt.nic.in पर लॉग ऑन करें।